रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1987/ज्येष्ठ 1, 1909
No. 274] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1987/JYAISTHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 151/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 521(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 228/86--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 3 अप्रैल, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 11 के सामने, स्तंभ (2) में, "33.07" अंकों के स्थान पर "3305.90 या 3306.00 या 3307.90" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[मि. सं. 341/22/87 टी. आर. यू.]
टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd May, 1987

NOTIFICATION

No. 151|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of Rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 228|86-Central Excises, dated the 3rd April, 1986, namely :—

In the Table annexed to the said notification against S. No. 11, in column (2), for the figures "33.07", the figures and words "3305.90 or 3306.00 or 3307.90" shall be substituted.

[No. 341|22|87-TRU]
T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987